

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) एवं आपके पत्र संख्या-102/3-ले0/बजट/2017-18, दिनांक 10.04.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 04-बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान के अधीन संलग्न विवरणानुसार ₹ 4047 हजार (₹ चालीस लाख सैतालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-312, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
- मानक मद सं0-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबंध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किशत को प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जायेगा।
- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

- v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- vii. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0-8 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
- viii. उक्त व्यय संलग्नक में अंकित तालिकानुसार लेखानुदान वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3454 के सुसंगत उपलेखाशीर्षक के अधीन डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

3. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,


(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव

सं0- 81 / XXVI/तीन(01)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरोय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
7. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रजनीश जैन)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या: 81 / XXVI / तीन(01) / 2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 का संलग्नक।

राजस्व व्यय

(धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	लेखानुदान वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
	मतदेय	भारित
अनुदान सं०-07		
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
04-बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान		
01-वेतन	2190	
02-मजदूरी	20	
03-मंहगाई भत्ता	132	
04-यात्रा व्यय	33	
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	17	
06-अन्य भत्ता	102	
07-मानदेय	3	
08-कार्यालय व्यय	67	
09-विद्युत देय	20	
10-जलकर/जल प्रभार	10	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	27	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33	
13-टेलीफोन व्यय	50	
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	93	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	900	
17-किराया, उपशुल्क पर व्यय	117	
18-प्रकाशन	33	
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50	
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	17	
26-मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	17	
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33	
42-अन्य व्यय	10	
45-अवकाश यात्रा व्यय	23	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफवेयर का क्रय	17	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	33	
(₹ चालीस लाख सैतालिस हजार मात्र)	4047	

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - Three(01)/2017

अनुदान संख्या - 007

अनोटमेंट आई डी - S1704070354

आवंटन पत्र दिनांक -20-Apr-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

1: लेखा शीर्षक	3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
	001 - निदेशन तथा प्रशासन	
	04 - बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान	
	00 - बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	2190000	2190000
02 - मजदूरी	0	20000	20000
03 - महंगाई भत्ता	0	132000	132000
04 - यात्रा व्यय	0	33000	33000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	17000	17000
06 - अन्य भत्ते	0	102000	102000
07 - मानदेय	0	3000	3000
08 - कार्यालय व्यय	0	67000	67000
09 - विद्युत देय	0	20000	20000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	27000	27000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	33000	33000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	50000	50000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	0	93000	93000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	900000	900000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	0	117000	117000
18 - प्रकाशन	0	33000	33000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	50000	50000
22 - आविध्य व्यय विपयक भत्ता आ	0	17000	17000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	0	17000	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपुति	0	33000	33000
42 - अन्य व्यय	0	10000	10000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	23000	23000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	17000	17000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	33000	33000
	0	4047000	4047000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

4047000